



विकसित भारत-जी राम जी विधेयक लोकसभा में पेश, विपक्ष ने गांधी जी का नाम हटाने का किया विरोध

नयी दिल्ली १६/१२ (संवाददाता): संसद के शीतकालीन सत्र में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण कामकाज किए गए। हालांकि, लोकसभा में सच्चा पक्ष और विपक्ष के बीच में वार-पलटवार का दौर साफ तौर पर देखने को मिला। मनरेगा की जगह लेने वाले विधेयक पर लोकसभा में प्रियंका गांधी बनाम शिवराज सिंह चौहान आमने सामने दिखे। वहीं, देश में अप्रचलित एवं पुराने हो चुके 71 कानूनों को निरस्त और संशोधित करने के प्रस्ताव वाले ‘निरसन और संशोधन विधेयक, 2025’ को लोकसभा ने मंजूरी दी। सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि जलवायु परिवर्तन महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ा रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उनपर यह जोखिम ज्यादा बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन

में कुछ सदस्यों से चुटकी लेते हुए कहा कि सदन “ध्यान लगाने” का स्थान नहीं है और यदि वे अपने घर से ही “ध्यान लगाकर” आएंगे तो उचित रहेगा। उन्होंने सदन में आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाने के बाद यह टिप्पणी की।

सरकार ने विपक्ष के तीखे विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025’ पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध



करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना उनका अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को वापस लिया जाए या फिर संसदीय समिति के पास भेजा जाए। चौहान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं।” उनका कहना था कि मोदी सरकार महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित कई योजनाएं चला

रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था, लेकिन इस विधेयक में ज्यादातर प्रदेशों में अब 60 प्रतिशत अनुदान ही आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा। ये उन प्रदेशों को और प्रभावित करेगा जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से

ही केंद्र की जीएसटी के बकाया का इंतजार कर रही है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पेश किए जाने का विरोध किया और देव आनंद की मशहूर फिल्म ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ के एक गीत का उल्लेख करते हुए सत्तापक्ष पर कटाक्ष किया कि “देखो ओ दोवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम ना करो।” कानून मंत्री अर्जुन राम

मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कई अप्रचलित एवं पुराने कानूनों के निरसन व संशोधन का प्रस्ताव करने वाला विधेयक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ओर बढ़ता कदम है। मेघवाल ने निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 को सदन में चर्चा और पारित किए जाने के लिए रखते हुए कहा कि सरकार से समाज हित में कानून बनाने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन एक समय आता है जब ऐसा लगता है कि उस कानून की उपयोगिता नहीं है या वह अपनी प्रासंगिकता खो चुका है तो ऐसे कानूनों का निरसन किया जाना चाहिए। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा से कभी पीछे नहीं हटी। संविधान के तहत निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची की समय-समय पर पुष्टि करने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग ने यह

सुनिश्चित किया कि कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम इसमें शामिल नहीं हो। निर्वाचन आयोग के लिए एसआईआर कराना इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि 2010 के बाद से किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज की निगरानी करने की जिम्मेदारी एक परिवार द्वारा नियंत्रित पार्टी के पास रही, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठा। नड्डा ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर निर्वाचन आयोग, ईवीएम को निशाना बनाकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि पिछले कुछ महीने में समुद्री निर्यात में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि कई देशों ने ‘डंपिंग रोधी’ शुल्क लगाया है। गोयल ने प्रश्नकाल में

कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार समुद्री मछलियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है।

राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर काम का जबरदस्त दबाव और उन्हें कम मानदेय दिये जाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि देश भर में इनकी रिक्रियों को भरा जाए और इनके मानदेय में केंद्र द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दोगुना किया जाए। राज्यसभा में मंगलवार को आम आदमी पार्टी की सदस्य स्वाति मालीवाल ने आवारा पशुओं की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि देश के प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सालय, शरण स्थल और सारे उपकरणों से सुसज्जित एज्युलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए।

विजय दिवस पर राष्ट्रपति भवन में भारत के वीरों को सम्मान, परमवीर दीर्घा का हुआ लोकार्पण

नयी दिल्ली १६/१२ (संवाददाता): भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परम वीर दीर्घा का उद्घाटन किया। इस गैलरी में परम वीर चक्र से सज्जानित सभी 21 विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस गैलरी का उद्देश्य आगंतुकों को हमारे उन राष्ट्रीय नायकों के बारे में शिक्षित करना है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में अदृश्य संकल्प और अदृश्य साहस का प्रदर्शन किया। यह उन वीर योद्धाओं की स्मृति को सज्जानित करने की भी एक पहल है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। जिन गलियारों में अब परम वीर दीर्घा स्थापित की गई है, वहां पहले ब्रिटिश सहायक अधिकारियों के चित्र प्रदर्शित किए जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय नायकों के चित्रों को प्रदर्शित करने की यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता को



त्यागने और भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शाश्वत परंपराओं को गर्व से अपनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। परम वीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सज्जान है, जो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता, साहस और आत्मबलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। विजय दिवस प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 के युद्ध में भारत की निर्णायक विजय की याद दिलाता है, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। भारतीय सेना ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य को याद किया और सूचना के

अतिरिक्त महानिदेशालय द्वारा जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बांग्लादेश की मुक्ति की ऐतिहासिक गाथा साझा की। झ्र पर एक पोस्ट में भारतीय सेना ने लिखा कि विजय दिवस केवल एक तारीख नहीं है, यह 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक और निर्णायक विजय का प्रतीक है। उन्होंने इस युद्ध को भारत के सैन्य इतिहास को नया रूप देने वाली विजय बताया और मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के बीच हुए शक्तिशाली संघर्ष को याद किया, जिसने बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष को स्वतंत्रता की दिशा में आवश्यक गति प्रदान की।

नेशनल हेराल्ड : सोनिया-राहुल समेत कई लोगों को राहत, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार

नयी दिल्ली १६/१२ (संवाददाता): दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। इसके अलावा, दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया कि कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई अन्य लोगों को इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रति प्राप्त



करने का अधिकार नहीं है। राज् एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एज्ट) विशाल गोगने ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। गोगने ने कहा कि शिकायत खारिज कर दी गई है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मामले में आगे की दलीलें सुनी जा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक नई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। ईडी ने अपने आरोपपत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे,

सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटर्स मचेंडाइज और सुनील भंडारी को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया था। आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडएल्यू) ने 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की, जिसमें गांधी परिवार, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन और अन्य को धोखाधड़ी, संपत्ति के बेईमानी से दुरुपयोग, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोपों में आरोपी बनाया गया है।

लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश

नयी दिल्ली १६/१२ (संवाददाता): थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गोवा अल्पिकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को ट्रांजिट रिमांड के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट दिवंकल चावला के समक्ष पेश किया गया। जब पत्रकारों ने गौरव लूथरा से पूछा कि ज्या उन्हें पछतावा है, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। जांचकर्ताओं का आरोप है कि नाइटज़लब द्वारा अनिवार्य अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह घटना और भी गंभीर हो गई। इस घटना ने प्रबंधन द्वारा कथित अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों और चूक पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गौरव और सौरभ अपने नाइटज़लब में आग लगने के कुछ घंटों बाद, सात दिसंबर को तड़के फुकेत भाग गए, जिसके चलते इंटरपोल का ‘ज्लू कॉर्नर’



नोटिस जारी किया गया और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। भारत सरकार के अनुरोध के बाद 11 दिसंबर को थाईलैंड के अधिकारियों ने फुकेत में दोनों को हिरासत में ले लिया। भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच कानूनी संधियों के तहत उन्हें निर्वासित करने के लिए थाईलैंड के अधिकारियों के साथ समन्वय किया। दिल्ली की एक अदालत ने 11 दिसंबर को लूथरा बंधुओं की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर बताया और उनके आचरण की कड़ी आलोचना की।

विवि के नियमन, मानक निर्धारण और प्रत्यायन में एकरूपता लाने की आवश्यकता-प्रधान

नयी दिल्ली १६/१२ (संवाददाता): केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि विनियमन, मानक निर्धारण और विश्वविद्यालय प्रत्यायन में एक समान ढांचा स्थापित करना आवश्यक है, ताकि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप बनाया जा सके। प्रधान ने सोमवार को संसद में विधेयक पेश किया था, जिसे विरोध के चलते संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। आज राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि विधेयक विनियमन, मानक निर्धारण और प्रत्यायन के लिए तीन परिषदों की स्थापना करता है, जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के समन्वय से कार्य करेंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि



कई नियामक निकाय, मानक निर्धारण निकाय और मान्यता निकाय हैं। नई नीति (एनईपी) के निर्माताओं ने यह बात नोट की थी कि यदि हमें उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक लाना है, तो अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है। यूजीसी एक ही निकाय में सब कुछ था- एक नियामक, एक मानक निर्धारण निकाय और एक मान्यता निकाय। हमें हितों के टकराव और निष्पक्षता की कमी के कारण समस्या का सामना करना पड़ा। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई, फिर 1980 के

दशक में एआईसीटीई अधिनियम आया और 90 के दशक में एनसीटीई अधिनियम आया। समय के साथ, संसद में पारित अधिनियमों के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का गठन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, मानक और लाइसेंसिंग निकाय, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर भी है। इन सभी को एकसमान ढांचे के अंतर्गत लाना आवश्यक था। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में तीन परिषदें होंगी- विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद एक नियामक परिषद के रूप



व्यक्तियों की उपस्थिति में सज्जानित किया गया। पार्टी के महत्वपूर्ण पद का कार्यभार संभालने पर नवीन को हार्दिक बधाई देते हुए नड्डा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के सफर को नई दिशा मिलेगी।

नवीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित अन्य गणमान्य

कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में मंत्री रहे 45 वर्षीय नवीन को रविवार को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संभावना है कि वे अंततः नड्डा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, जो सत्तारूढ़ दल में एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र नवीन को पार्टी नेताओं के अनुसार गतिशील, वैचारिक रूप से दृढ़ और संगठन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाला माना जाता है।

में, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद एक मान्यता परिषद के रूप में और विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद एक मानक परिषद के रूप में। ये दोनों परिषदें स्वायत्त होंगी और शिक्षा अधिष्ठान समन्वय का कार्य करेंगी। राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समस्या यह थी कि यूजीसी में राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी।

राज्य विश्वविद्यालय यथावत रहेंगे और समन्वय मौजूदा ढांचे के अनुसार ही कार्य करेगा। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र, स्वशासी निकाय बनने में सक्षम बनाने के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना करता है। इस विधेयक में

विक्षित भारत शिक्षा मानक परिषद को नियामक परिषद, विक्षित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद को प्रत्यायन परिषद और विक्षित भारत शिक्षा मानक परिषद को मानक परिषद के रूप में गठित करने का भी प्रस्ताव है। यह विधेयक राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2020 के अनुरूप है। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (यूजीसी), 1956; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम (एआईटीसी), 1987; और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम (एनसी टीई), 1993 को निरस्त करना का प्रयास करता है। वास्तुकला परिषद (सीओए) राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2020 में परिकल्पित व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय (पीएसएस बी) के रूप में कार्य करेगी।



विविध समाचार



पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट अपडेट- एसआईआर के बाद 58 लाख नाम हटे, चुनाव से पहले सियासत तेज

कोलकाता १६/१२ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 58.20 लाख नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इसके पीछे मृत्यु, पलायन और डुप्लीकेट एंट्री जैसे कारण प्रमुख रहे हैं। मतदाताओं को 15 जनवरी तक दावा-आपज़ि दर्ज कराने का मौका दिया गया है। इस बड़े बदलाव को लेकर राज्य में सजापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में जिस मुद्दे को लेकर बेचैनी बनी हुई थी, उस पर अब चुनाव आयोग ने आधिकारिक स्थिति साफ कर दी है। बता दें कि मंगलवार

को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद राज्य की मसौदा मतदाता सूची सार्वजनिक कर दी है, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 7 करोड़ 8 लाख 16 हजार 631 मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। यह संख्या एसआईआर से पहले मौजूद 7 करोड़ 66 लाख 37 हजार 529 मतदाताओं से करीब 58 लाख 20 हजार कम है। आयोग के अनुसार, हटाए गए नामों में मृत्यु, स्थायी पलायन, डुप्लीकेट प्रविष्टि और गणना फॉर्म जमा न करने जैसे कारण प्रमुख रहे

हैं। गौरतलब है कि अगले साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के तहत ड्राफ्ट सूची के साथ-साथ बूथ-वार हटाए गए मतदाताओं की सूची और नाम हटाने के कारण भी सार्वजनिक किए हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल की वेबसाइट, आयोग के वोटर पोर्टल और ईसीआईनेट ऐप पर उपलब्ध कराई गई है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटे हैं, उनके लिए सुनवाई की प्रक्रिया लगभग एक सप्ताह बाद शुरू की जाएगी। इस अंतराल का कारण नोटिस की



छपाई, उन्हें संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाना और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना बताया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि हटाए गए अधिकांश नाम उन मामलों से जुड़े हैं, जहां एसआईआर के दौरान गणना फॉर्म एकत्र नहीं हो पाए। इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्थायी

रूप से अपने पते से स्थानांतरित हो गए हैं, जो अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले या जिनके नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज पाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पहले जारी आंकड़ों के अनुसार, करीब 24 लाख मतदाता मृत पाए गए, लगभग 19 लाख 88 हजार मतदाता

स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके थे और 12 लाख से अधिक लोग अपने पते पर अनुपलब्ध या लापता पाए गए। इसके अलावा, करीब 1.38 लाख डुप्लीकेट मतदाता और लगभग 1.83 लाख तथ्यांकित 'घोस्ट वोटर' भी सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि ड्राफ्ट सूची से नाम हटाना अंतिम निर्णय नहीं है। प्रभावित मतदाता 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच दावा और आपज़ि की अवधि में फॉर्म-6, घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। आयोग का कहना है कि यदि पात्रता सिद्ध होती है तो नाम अंतिम सूची में जोड़े जाएंगे। इस बीच, विशेष रोल

पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने मतदाताओं से घबराने की जरूरत न होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि करीब 30 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका विवरण पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खा सका है और उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद राज्य की राजनीति भी गरमा गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलकर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि बड़ी संख्या में सुनवाई की प्रक्रिया आम नागरिकों को भयभीत करने की कोशिश है। वहीं, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अंतिम सूची आने के बाद

स्थिति और स्पष्ट होगी। बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कथित तनाव और अफवाहों को लेकर भी सियासी आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कुछ मौतों को एसआईआर से जुड़ी घबराहट से जोड़ने का दावा किया है, जबकि भाजपा ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है और इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। चुनाव आयोग ने अंत में सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन पोर्टल या स्थानीय बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से अपने नाम की जांच करें और जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा-आपज़ि दर्ज कराएं ताकि अंतिम मतदाता सूची निष्पक्ष और नुतिरहित बनाई जा सके।

ज्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत की पाकिस्तान से पहले ही दिन हार हुई? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज का ये कैसा दावा

नयी दिल्ली १६/१२ (संवाददाता): महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा दावा किया है। पुणे में पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हमारी करारी हार हुई। 7 तारीख को आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में हमारी करारी हार हुई, चाहे लोग इसे मानें या न मानें। भारतीय विमानों को मार गिराया गया। वायुसेना पूरी तरह से ठप हो गई थी और एक भी विमान नहीं उड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ग्वालियर, बडिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ान भरता, तो पाकिस्तान द्वारा उसे मार गिराए जाने की प्रबल संभावना थी, इसीलिए वायुसेना को पूरी तरह से ठप कर दिया गया था।



पृथ्वीराज चव्हाण ने आगे कहा कि हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि सेना की एक किलोमीटर की भी हलचल नहीं हुई... दो-तीन दिनों में जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ हवाई युद्ध और मिसाइल युद्ध था। भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसे में ज्या हमें वाकई 12 लाख

सैनिकों की सेना रखने की जरूरत है, या हम उनसे कोई और काम नहीं करवा सकते? वहीं, चव्हाण ने अपनी उस भविष्यवाणी पर स्पष्टीकरण दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 19 दिसंबर को देश में इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल होगा और प्रधानमंत्री बदलेंगे, जो कि एक मराठी नेता होंगे। पत्रकार भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी भविष्यवाणी का संदर्भ समझाया।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए चव्हाण ने जेफरी एपस्टीन मामले से संबंधित अमेरिका में हो रहे घटनाक्रमों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि लगभग 1995-96 में अमेरिकी व्यवसायी जेफरी एपस्टीन सुर्खियों में आए और बाद में पता चला कि वे नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी सहित अवैध गतिविधियों में शामिल थे। आरोप है कि एपस्टीन ने हनी-ट्रैप के जरिए कई राजनीतिक हस्तियों को फंसाया और उनकी रिकॉर्डिंग की। पीड़ितों की शिकायतों के बाद जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें यौन तस्करी और नाबालिगों के शोषण के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया। बाद में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में एपस्टीन की मृत्यु हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या घोषित किया गया, हालांकि इसने अमेरिका में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।

नयी दिल्ली १६/१२ (संवाददाता): कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने मंगलवार को शून्यकाल के दौरान लाखों महिला फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की दुर्दशा को उजागर करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तथा सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग की। गांधी ने इन सरकारी पहलों को महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण मार्ग बताया, लेकिन इस बात पर खेद व्यक्त किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और बाल विकास में उनके अपरिहार्य योगदान के बावजूद, कार्यकर्ता अत्यधिक बोझ, कम वेतन और कम



महत्व की बनी हुई है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी के रूप में वर्गीकृत आशा कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान, मातृ स्वास्थ्य सहायता और परिवार कल्याण कार्यक्रमों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालती हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा के साथ कम मानदेय मिलता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के लिए केंद्रीय भूमिका

निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को केंद्र सरकार से कार्यकर्ताओं के लिए लगभग 4,500 रुपये और सहायिकाओं के लिए 2,250 रुपये का मूल मानदेय मासिक रूप से मिलता है, जिसमें राज्यों द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है। उन्होंने देशभर में आईसीडीएस के विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,00,000 रिक्रियों की ओर इशारा किया, जिसके

परिणामस्वरूप लाखों बच्चों और माताओं को आवश्यक पोषण, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है।

गांधी ने सेवा वितरण को प्रभावित करने वाली कर्मचारियों की कमी की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि कम वेतन के अलावा, वर्तमान में आईसीडीएस में विभिन्न स्तरों पर लगभग तीन लाख रिक्रिया हैं। इन कमियों के कारण लाखों बच्चे और माताएं

आवश्यक सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। यहां तक ??कि जब ये पद भर भी दिए जाते हैं, तब भी 2011 के बाद से अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अभाव के कारण जनसंख्या के मानदंडों से कम पड़ते हैं। कांग्रेस नेता ने सरकार से राज्यों के सहयोग से उपायों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जिनमें सभी मौजूदा रिक्रियों को भरना, सभी कर्मचारियों को समय पर पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, इन अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के वेतन में केंद्र सरकार के योगदान को दोगुना करना, 2,500 से अधिक आबादी वाले गांवों में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या को दोगुना करना शामिल है, ताकि मौजूदा पोषण और स्वास्थ्य पहलों के अतिरिक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सक्षम बनाया जा सके।

भेदभाव के आधार पर कोई कानून पास नहीं किया मनरेगा के नाम बदलने पर लोकसभा में बोलीं

नयी दिल्ली १६/१२ (संवाददाता): कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने मंगलवार को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025, जिसे बीबी-जी राम जी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएन आरईजीए) को कमजोर करेगा और इसके तहत दिए जाने वाले 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान को नकार देगा। लोकसभा में बहस के दौरान वायनाड की सांसद ने कहा कि पर्याप्त परामर्श या चर्चा के बिना किसी भी विधेयक को संसद में जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए और आरोप लगाया कि यह विधेयक निजी जुनून या पक्षपात के कारण



जल्दबाजी में पारित किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सदन से उचित परामर्श या किसी भी चर्चा के बिना इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसे वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हालांकि महात्मा गांधी से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, फिर

भी वे मेरे परिवार के समान थे। यही पूरे देश की भावना है। इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। किसी भी कानून को केवल व्यक्तिगत जुनून या पूर्वाग्रह के कारण जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने ग्रामीण श्रमिकों पर प्रस्तावित कानून के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नया विधेयक एमजीएनआरईजीए के तहत गारंटीकृत आय के अधिकार को

जाना चाहिए..., प्रियंका गांधी

कमजोर करेगा। उन्होंने मौजूदा योजना के तहत मजदूरी भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दों को भी उजागर किया। उन्होंने आगे कहा कि नाम बदलने की यह बात मुझे समझ नहीं आती। यह नया विधेयक कम से कम 100 दिनों के लिए आय के अधिकार को कमजोर कर देगा। आप जहां भी जाएं, एमजीएनआरईजीए कर्मचारी आपको बताएंगे कि उन्हें उनकी मजदूरी नहीं मिली है। इससे पहले आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025, जिसे जी राम जी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, को पेश करने की अनुमति मांगी। इस विधेयक का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान उनका अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 2,200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में काशी पहुंचे हैं जब दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की ताकत और संकल्प को देखा है। यह नया भारत है, जिसके पास पहलगाम हमले के दोषियों को सजा दिलाने की क्षमता और साहस दोनों हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हुए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, इस नए भारत में आतंक

के दोषियों को धूल चटाने और दुश्मनों की सीमा में घुसकर उनका सफाया करने का साहस है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का काशी आगमन हुआ है। उज्जर प्रदेश की जनता की ओर से, मैं प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की शक्ति व सामर्थ्य का अहसास किया है। उन्होंने कहा कि नया भारत पहलगाम के अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर और दुश्मन के घर में घुसकर उसका खात्मा करने का माद्दा रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। पिछले 11 वर्ष में चार दर्जन से अधिक देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक

सज्जमान दिया है। दुनिया लोककल्याण और विश्वकल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा मानती है। जुलाई में घाना, त्रिनिदाद-टोबैगो, नामीबिया, ब्राजील ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सज्जमान देकर 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ाया है। अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के 51वें दौरे पर, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी-भदोही मार्ग और छितौनी-शूल टंक्श्वर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ मोहन सराय-अदलपुरा मार्ग पर भीड़भाड़ कम करने के लिए हरदजपुर में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने दालमंडी, लहरतारा-कोटवा, गंगापुर, बाबतपुर सहित कई ग्रामीण और शहरी गलियारों

में व्यापक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा लेवल क्रॉसिंग 22सी और खालिसपुर यार्ड पर रेलवे ओवरब्रिज की आधारशिला रखी। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए, प्रधानमंत्री ने स्मार्ट वितरण परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों और 880 करोड़ रुपये से अधिक लागत के बिजली के बुनियादी ढांचे को भूमिगत करने की आधारशिला रखी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री ने नदी तट पर स्थित आठ कच्चे घाटों के पुनर्विकास, कालिका धाम में विकास कार्यों, शिवपुर स्थित रंगीलदास कुटिया में तालाब और घाट के सौंदर्यीकरण और दुर्गाकुंड के जीर्णोद्धार एवं जल शोधन कार्यों का उद्घाटन किया।

कलिंग समाचार

THE KALINGA SAMACHAR

(A Hindi Daily News Paper)

PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH

FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT

AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16

ROURKELA, PH. 0661-2646999

PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)

E-mail: thekalingasamachar@gmail.com



विविध समाचार



खुरपका - मुंहपका टीकाकरण के कुछ पहलू



किसान भाईयो, खुरपका एवं मुंहपका यह बीमारी एक प्रकार के विषाणु से होती है। यह विषाणु आमतौर पर खुरों वाले पालतू या जंगली जानवरों को अपनी घपेट में लेता है। भारत में खासकर गायों व बैलों में यह बीमारी पायी जाती है। बाधित जानवरों के श्वास-उश्वास, पेशाब गोबर, दूध तथा उसके संपर्क में आने वाली वस्तुओं द्वारा भी यह विषाणु स्वस्थ पशु को संक्रमित करता है।

बुखार आना, दूध उत्पादन में कमी होना, मुंह के छाले आने से खाना न खाना या कम खाना, पैरों में खुरों के बीच में घाव होना इसके कारण पशु को चलने में परेशानी होना यह खुरपका एवं मुंहपका विषाणु बाधित जानवरों में पाया जाता है। बकरी और भेड़ में भी यह बीमारी होती है परन्तु बाधित जानवर ऊपरी तौर पर स्वस्थ दिखते हैं। इनके अलावा

शूकरों में भी यह बीमारी होती है। इस बीमारी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खुरपका एवं मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम देश के कई जिलों में चलाया जा रहा है। जिसमें खुरपका एवं मुंहपका रोग के प्रतिरक्षा हेतु टीका विकसित तथा प्रचलित किया जा रहा है। कभी-कभार यह टीका निजी संस्थाओं द्वारा भी विकसित किया और बेचा जा रहा है। टीकाकरण किये गए जानवरों में भी खुरपका एवं मुंहपका रोग के लक्षण पाये जाने से टीकाकरण के प्रति लोगों में निराशा आ सकती है और वह एकदम टीकाकरण न कराने का फैसला ले सकते हैं। तो किसान भाईयो चलिये जाने टीकाकरण के विफलता के क्या प्रमुख रहस्य हो सकते हैं।

टीका बनने के पश्चात इसे शीतगृह में रखा जाता है और जब तक टीके का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक ठंडा ही रखा जाना चाहिए। कई बार ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है। उपभोक्ता कड़ों में अज्ञान के कारण यह व्यवस्था विफल हो सकती है तथा टीका देने का तरीका हरेक संस्था द्वारा टीके की शीशी पर लिखा होता है तथा निर्देश दिये होते हैं। इसका सही पालन न करना भी दूसरा एक कारण हो सकता है। परन्तु किसान भाईयो इन सभी दिशा निर्देशों के पालन के पश्चात भी टीकाकरण प्रभावी न होने के और भी कई कारण हो सकते हैं।

खुरपका-मुंहपका रोग विषाणु राइबोस जीवनद्रव्य से बना होता है। खुरपका - मुंहपका रोग के विषाणु के उत्पत्ति



के दौरान इन जीवन द्रव्यों में बदलाव होने से विषाणु में भी बदलाव आता है और इस वजह से विषाणु जन्मि प्रथीनों में बदलाव होता है। खुरपका-मुंहपका रोग के प्रतिरक्षा हेतु बनाने वाला टीका विषाणु के एक तरह के प्रथीनों से बनता है।

खुरपका-मुंहपका रोग के टीके में प्रकार-क के अलावा शेष तीन प्रकारों के ए.ओ. तथा एशिया-1 का समावेश होता है। इन स्थानों में जहां जानवरों में तीनों विषाणु के प्रकार पाये जाते हैं वहां उपरोक्त टीका लगाया जाता है।

परन्तु पूर्व अध्ययनों द्वारा ऐसे जगह जहां केवल एक प्रकार के विषाणु का ही प्रकोप है

ऐसा पाया गया है वहां टीके में एक ही प्रकार के विषाणु के प्रथीन (प्रोटीन) उपयोग में लाये जाते हैं। खुरपका एवं मुंहपका रोग के अर्थव्यवस्था पर होने वाले परिणाम के कारण भारत में इस रोग के अध्ययन हेतु परियोजना निदेशालय, भुवनेश्वर लगातार ऐसे विषाणु प्रकार की खोज करता है जो कि टीके में होने से ज्यादा से ज्यादा जानवरों में प्रतिरक्षा मिल सके। परन्तु फिर भी कभी-कभी विषाणु

प्रकार उत्पत्ति दौरान बदलाव आने से टीकाकरण अयशस्वी होता है। वर्तमान में टीके में होने वाले यह विषाणु के प्रकार के बदलाव के बारे में पहले से पता नहीं लगाया जा सकता इसलिए उपलब्ध टीकों का प्रयोग करना अनिवार्य और सर्वोत्तम है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टीकाकरण के पहले ही पशुओं को विषाणु का संसर्ग हो गया हो और हम टीकाकरण या टीके को ही दोष देते हैं।

आज टीकाकरण के पहले ही कोई जानवर विषाणु से बाधित है या नहीं इसकी जांच करना संभव हो सका है तथा टीका लगने पश्चात उसके प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली ने काम करना चालू किया या नहीं यह टीकाकरण के पहले और टीकाकरण के इक्कीस दिनों पश्चात उसी जानवरों की खून के जलमय पदार्थ की जांच से पता किया जा सकता है। जानवरों का खून एक घंटे तक पात्र में छोड़ दिया जाए तो वह जमकर एक पीले रंग का जलमय पदार्थ निकलता है उसी से यह जांच होती है। अपने कीमती दूध देने वाले जानवरों की खून की जांच कराना आवश्यक है। प्रारंभिक जांच हेतु आप अपने निकटतम पशुवैद्य से संपर्क कर सकते हैं या क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। उनके दिशा निर्देशानुसार अथवा सूक्ष्म जीव शास्त्र विभाग, पशु विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय महु से भी संपर्क कर सकते हैं।



भूमि

अच्छे जल निकास वाली रेतीली दुमट या कटियार दुमट भूमि जिसकी उत्तम उर्वराशक्ति हो उपयुक्त रहती है। शारीर एवं अम्लीय भूमि में उपज अच्छी प्राप्त नहीं होती। असिंचित क्षेत्रों के लिये भारी किस्म की भूमि जिसमें जल धारण क्षमता अच्छी हो, अधिक उपयुक्त होती है। सिंचित अवस्था में सभी प्रकार की भूमि जिसमें पर्याप्त जैविक अंश मौजूद हो धनिया की खेती की जा सकती है।

उन्नत किस्में

गुजरात धनिया , गुजरात धनिया 2, को.1 को.2, को. 3, आर.सी.आर.41, आर.सी.आर.20, पूसा घनन 360, स्वाति, लाम घनन सी.एस. 2, साधना, राजेन्द्र स्वाति, सी.एस. 287, ग्वालियर नं.5365, सिन्धु, आर.सी.आर.435, आर.सी.आर. 436, आर.सी.आर.446।

खाद एवं उर्वरक

धनिया की अच्छी फसल के लिये 20 से 25 टन गोबर या कम्पोस्ट की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रथम जुलाई के पूर्व खेत में बिखेर दें। इसके अतिरिक्त नत्रजन 60 कि.ग्रा. स्फुर 40 कि.ग्रा. एवं पोटाश 20 कि.ग्रा. प्रति हे. की अनुसंज्ञा की गई।

बीज की मात्रा

बीज की मात्रा बुवाई विधि पर निर्भर करती है। छिटकवा विधि से बुवाई के लिये 22 से 25 कि.ग्रा. एवं पंक्तियों में बुवाई के लिये 12 से 15 किघा प्रति हे. बीज की आवश्यकता होती है।

खेत की तैयारी

असिंचित खेती के लिये भूमि में सिंचित वर्षा की नमी जब उचित स्तर पर आ जाए खेत की तैयारी शुरू कर दें। पहली गहरी जुताई के पश्चात 2 से 3 जुताई देशी हल या हेरो से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। जुताई के बाद पाटा अवश्य लगायें ताकि डेले अच्छी तरह से फूट जायें। सिंचित फसल के लिये भूमि में अमर नमी का अभाव हो तो पलेवा देकर खेत की तैयारी करें। हल्की मिट्टी में कम एवं भारी मिट्टी में अधिक जुताई की आवश्यकता होती है। वीमकालीन गहरी जुताई करना लाभप्रद होता है।

खाद एवं उर्वरक देने की विधि

असिंचित क्षेत्रों में गोबर एवं कम्पोस्ट खाद की

धनिया की उन्नत खेती

पूरी मात्रा खेत की पहली जुताई के समय समान रूप से फैलाकर मिट्टी में मिलाएं एवं नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। सिंचित क्षेत्रों में खेत की अंतिम जुताई के समय नत्रजन की आधी मात्रा के साथ स्फुर एवं पोटाश की मात्रा खेत में समान रूप से छिटककर आधार खाद के रूप में दें। नत्रजन की शेष मात्रा को दो बराबर मात्रा में बीट के 30 से 40 दिन बाद खेत में अतिरिक्त पौधों को निकालने के पश्चात खड़ी फसल में बिखेर दें।

बुवाई का समय

धनिया मुख्यतः रबी की फसल है। अधिकांश क्षेत्रों में वर्षाधारित खेती की जाती है। इसलिए इसे चुन्दा या मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। बुवाई के लिये सर्वोत्तम समय अक्टूबर से लेकर नवम्बर का द्वितीय सप्ताह होता है, क्योंकि इस समय ठंड अधिक नहीं पड़ती है। उत्तरी भारत में धनिया की बोआई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर है।

बीजोपचार

मुदा एवं बीज जनित फफून्दी रोगों से बचाव हेतु धनिया के दानों को दो भागों में विभाजित करने के पश्चात थायरम्, कार्बेन्डाज़िम के 3 ग्राम सम मिश्रण या ट्राइकोडरमा विरुद्ध या ट्राइकोडरमा हाजीनिया 4 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित कर बुवाई करें।

बुवाई का तरीका

सामान्य तौर पर धनिया की बुवाई दो विधियों से की जाती है।

छिटकवा विधि

इस विधि में कम समय में अधिक क्षेत्र की बुवाई सुगमता एवं शीघ्रता से की जा सकती है। इस विधि में अधिक बीज की आवश्यकता होती है। खास हो बीजों का वितरण समान रूप से नहीं होता है। परिणामस्वरूप अंतः राज्य क्रियायें पूर्णरूपेण नहीं हो पाती जिससे उपज कम मिलती है।

कतारों में बुवाई

धनिया की बुवाई पंक्तियों में करना अधिक लाभप्रद होता है। बुवाई के लिये कतार से कतार की दूरी 2.5 से 3.0 से.मी. एवं पौधे से पौधे की दूरी

सिंचाई एवं जल निकास

फसल के अंकुरण के बाद पहली सिंचाई एवं दूसरी सिंचाई पूल आने के समय एवं तीसरी सिंचाई दाने के बनते समय करनी चाहिए। सामान्यतः धनिया की फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होता है। मौसम एवं मिट्टी की दिशा को देखकर सिंचाई आवश्यकतानुसार करें। खेत में पानी का भराव न होने दें अन्यथा फसल के मरने की आशंका रहती है। यदि खेत में पानी भर जाय तो उसे तुरन्त निकालने की व्यवस्था करनी चाहिये।

निराई- गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण

धनिया की फसल के साथ कई खरपतवार भी उग आते हैं जो भूमि से नमी, पोषक तत्वों स्थान धूप आदि के लिये प्रतिस्पर्धा करते हैं जिसके कारण पौधों के विकास एवं बढ़ावर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खरपतवार नियंत्रण के लिये दो बार निराई-गुड़ाई करनी चाहिये। बुवाई के 30 से 45 दिन बाद एवं दूसरी पहली निराई गुड़ाई के 60 से 70 दिन बाद करें। पहली के समय अतिरिक्त अनावश्यक पौधों को निकालकर पौधों से पौधों की दूरी 10 से 12 से.मी. कर लें। यदि फसल बड़े क्षेत्र में उगाई गई है तो अंकुरण के पूर्व पेन्डान्थालिन 1.0 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व का प्रति हेक्टेयर की दर से नमी की अवस्था में छिड़काव करें। इसके बाद बुवाई के 40 से 50 दिन बाद निराई-गुड़ाई करनी चाहिये।

कटाई एवं गहराई

फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब पूल आना बंद हो जाये और बीजों के गुच्छों का रंग भूरा हो जाये तब फसल कटाई के लिये तैयार मानी जाती है। कटाई के बाद फसल को खलिहान में छाया में सुखाना चाहिये।

उपज

सिंचित क्षेत्रों में औसत उपज 12 से 18 किंटल एवं असिंचित क्षेत्रों 6 से 8 किंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है।

भंडारण

दानों को सुखाने के पश्चात बोरीयों में या फोटियों में भरकर नमी रहित स्थानों में भंडारित करना चाहिये।

10 से 12 से.मी. रखनी चाहिए। कूड़ में बीज की गहराई 3 से 5 से.मी. तक होनी चाहिए। बीज अधिक को अधिक गहराई पर बोने से अंकुरण कम प्राप्त होता है।



आलू की अगेती खेती

आलू उत्पादन हेतु उपयुक्त जलवायु

आलू की कास्त विभिन्न प्रकार की जलवायुिक परिस्थितियों में की जा सकती है। मध्य प्रदेश में आलू की अगेती फसल लेने के लिए अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह उपयुक्त है बशर्ते सामयिक वर्षा न हो।

भूमि चयन

आलू की फसल के लिए सबसे उत्तम भूमि बलुआर, दोमट, दोमट तथा काली दोमट जिसमें जीवांश (ड्यूस) की प्रचुर मात्रा हो परंतु मुदा में समुचित जल निवार हो तथा मुदा का पी.एच. 6 से 8 के बीच हो।

आलू बीज (कंद) की मात्रा

व्यवहारिक रूप में पाया गया है कि 2.5 से 5 सेमी आकार का 30-40 ग्राम के वजन का बीज उपयुक्त है। इस प्रकार का कंद 25 से 30 किंटल प्रति हेक्टेयर बनते हैं। जहां तक संभव हो अगेती आलू फसल में साधुत कंद ही बनाएं।

खाद उर्वरक

बुआई के एक माह पूर्व 20 टन गोबर खाद भूमि में मिला दें इसके अलावा 260 किलो यूरिया, 625 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे. की दर से डाला जाये।

बोआई विधि

जल्दी तैयार होने वाली किरनों के लिए

कतार से कतार की दूरी 45-50 सेमी तथा पौधों से पौधों की दूरी 15-20 सेमी रखें। कंद को भलीभांति छंट कर एक आकार के आलू एक ही कतार में लगाएं। कंद को किसी आरगेनो मरक्युरियल कम्पाउण्ड या मैकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बीज डुबोकर छाया में सुखाकर बोये यदि संभव हो तो ट्राइकोडर्मा विरुद्धी के 400 ग्राम मात्रा से उपचारित करें।

निराई- गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाना

जब आलू की फसल के पौधे 12-15 सेमी के हो जाये तब हल्की सिंचाई करें। खरपतवार निकालकर यूरिया का शेष भाग डाल कर फावड़े से मिलाकर समय-समय पर मिट्टी चढ़ावें।

सिंचाई

आलू की फसल एक सप्ताह की हो जाये तो हल्की सिंचाई करें।

अगेती फसल के लिए अनुशसित प्रजातियां

मध्य प्रदेश में आलू की अगेती फसल के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी लवकर, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार काफी उपयुक्त हैं। चूंकि आलू की फसल में 35 से 55 दिन तक आलू बनते हैं तथा 55 से 75 दिन की अवधि आलू वजन एवं आकार बढ़ता है तथा 75 से 90 दिन का छिलका कड़ा होता है।

कलिंग समाचार



संपादकीय

बुधवार 17 दिसंबर 2025

अव्यवस्था का मोदी मॉडल

देश में चारों तरफ अफरा-तफरी और घबराहट, सड़कों पर उतरे परेशान नागरिक, अपने सवालों के जवाब मांगते लोग ऐसा माहौल अक्सर किसी आपातकालीन अवसर पर बनता है, लेकिन मोदी सरकार में ऐसे नजारे आम हो चुके हैं।2014 में जब नरेन्द्र मोदी सत्ता संभालने आए तो गुजरात मॉडल का खूब प्रचार किया गया। मानो गुजरात भारत का हिस्सा नहीं, नरेन्द्र मोदी की सरपरस्ती में बना हुआ धरती का कोई स्वर्ग है। देश को वैसा ही स्वर्ग जैसा साफ, सुंदर, भ्रष्टाचार मुक्त, हर तरह से विकसित बनाने का दावा श्री मोदी ने किया था। मजे की बात ये है कि 2014 से लेकर 2025 बीतने को है और अब तक यही सपने देश को दिखाए जा रहे हैं। अभी शीतकालीन सत्र शुरु होने से पहले नरेन्द्र मोदी ने पत्रकारों के सामने शब्दों का यही खिलवाड़ किया था, एक राष्ट्रनीति, मजबूत प्रशासन, डिलीवरी और न जाने क्या-क्या। ऐसा लगता है मानो प्रधानमंत्री किसी स्वप्नलोक में ही विचरण करते रहते हैं, जो उन्हें जमीनी हकीकत पता ही नहीं चलता। अन्यथा पिछले पांच दिनों से देश भर के हवाई अड्डों पर अव्यवस्था का जो आलम है, कम से कम उस पर खेद तो प्रकट कर ही सकते थे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी ने किसी बात पर अपनी गलती मान ली, तो फिर सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा। मोदी के पहले कार्यकाल से लेकर तीसरे कार्यकाल तक बार–बार जनता ने मनमाने फैसलों से उपजी अव्यवस्था को ही भुगता है। पहले कार्यकाल में 2016 में नोटबंदी का फैसला हो या दूसरे कार्यकाल में 2020 में लगा लॉकडाउन जनता में घबराहट का माहौल बना और इस तीसरे कार्यकाल में यही अफरा–तफरी एसआईआर को लेकर बिहार में बनी, अब देश के बाकी 12 राज्यों में लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। वहीं ट्रेंनों के साथ–साथ लाइट्स ऑपरेशन की गड़बड़ियों ने लाखों लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। देश में सबसे ज्यादा चलने वाली इंडिगो की उड़ानें पिछले पांच दिनों से रद्द या देरी से चल रही हैं। इसकी वजह है नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) का एक नया नियम। लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन इस नियम में पायलट्स और कर्ूमबर्स को पर्याप्त आराम देने जैसे प्रावधान हैं। लेकिन इस नियम को लागू करने से पहले पूरी तैयारी नहीं की गई, लिहाजा इंडिगो को कम से कम हजार लाइट्स रद्द करनी पड़ी। इसके कारण भारी अव्यवस्था फैली और पानी सिर के ऊपर से निकला तो शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने बैठक की और सारी व्यवस्थाएं ठीक करने का निर्देश दिया। इस बीच इंडिगो को नियमों में ढील दी गई ताकि वह उड़ान संचालन ठीक से बहाल करे। हालांकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब नियम पायलट्स की थकान और उनके काम के घंटे निर्धारित करने के लिए था, तो क्या इसमें ढील देना सही है। इधर लगातार पांच दिन से उड़ानों के रद्द होने से अन्य एयरलाइन कंपनियों ने अपने टिकट दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की तो उसमें भी शनिवार को जाकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरकत में आया और घोषणा की कि वह अपने नियामकीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी प्रभावित रूट्स पर किराया नियंत्रण लागू कर रहा है। इंडिगो का मामला संसद में भी उठा। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। देरी, कंसिलेशन और लाचारी के रूप में एक बार फिर, इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच–फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। यहां जिस मैच फिक्सिंग की बात राहुल गांधी ने की है, वह समझना कठिन नहीं है। जिस तरह देश की सारी संपत्ति और संसाधन दो–तीन लोगों के हाथों में ही केन्द्रित हो चुके हैं, वह एक खतरनाक स्थिति है। उद्योगों और उद्योगपतियों को बढ़ावा देना एक बात है, लेकिन वे अपनी शर्तों पर सरकार चलवाने लगे, यह स्थिति न देश के लिए न राजनैतिक दलों के लिए सही होगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस बारे में चेतावनी दी है कि उद्योगपति अगर सरकार से अधिक ताकतवर हो जाएं, तो फिर वही होगा जो आज हम भुगत रहे हैं।

राजेंद्र शर्मा

इंडियन एक्सप्रेस की एक चर्चित खोजी रिपोर्ट में ऐसे पूरे 25 पूर्व.विपक्षी नेताओं के मामलों की जांच.पड़ताल की गयी थीए जिनके खिलाफ 2014 में मोदी निजाम के आने के बाद से भ्रष्टाुचार के गंभीर आरोप लगाकर सीबीआईए ईडी तथा आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच शुरू करायी गयी थीए बहुप्रचारित पूछताछ से लेकर कुछ मामले में गिर तारी तक की कार्रवाइयां भी की गयी थीं।

इसे भाजपा की धुलाई मशीन का करिश्मा कहनाए शायद इसमें निहित हमारी संवैधानिक व्यवस्था के क्षय को कम कर के आंकना होगा।इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के राज में राजद्रोह जैसे गंभीर और आरोपियों के लिए बहुत ही दमनकारी आरोपों को भीए न सिर्फ खुल्लमखुल्ला सत्ताधारी राजनीति के स्वार्थों का मोहरा बना दिया गया है बल्कि इन स्वार्थों का बहुत ही सस्ता मोहरा बना दिया गया है। हम गुजरात में करीब दस वर्ष पहले महत्वपूर्ण तथा विद्रोह तेवरों वाले युवा पटेल नेता के रूप में उभरेए हार्दिक पटेल और जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय की कन्हैया कुमार की समकालीन छात्र नेताए शहला राशिद के वर्षों बादए राजद्रोह की धाराओं के आरोपों से मुक्त किए जाने की बात कर रहे हैं। इसी 1 मार्च को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली पुलिस के इसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया कि वह 2019 के राजद्रोह के केस मेंए शहला राशिद के खिलाफ मुकद्दमा वापस लेना चाहती है। इसके अगले ही रोजए अहमदाबाद की अदालत ने हार्दिक पटेल के खिलाफ भी राजद्रोह का मामला वापस लेने की इजाजत दे दी। दुर्भाग्य से अनेक वर्षों तक इन युवा नेताओं के गले

उल्टे उमर खालिद तो करीब पांच साल से जेल में ही बंद है और उसे जमानत मिलने के अब भी कोई आसार नजर नहीं आते हैं। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि शहला राशिद और हार्दिक पटेलए दोनों के राजद्रोह के आरोपों से मुक्त किए जाने का सीधा संबंधए उन पर आरोप लगाए जाने के बाद गुजरे इन कई वर्षों मेंए उनके अपना राजनीतिक रुख बदलकरए नरेंद्र मोदी निजाम का मुखर समर्थक बन जाने से है। हार्दिक पटेल तो इस दौरान भाजपा में शामिल होकरए उसके टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा में भी पहुंच चुके हैंए जबकि शहला राशिद भी कश्मीर की राजनीति में सक्रियए भाजपा और मोदी समर्थक माने जाने वाले एक रूपा के साथ जुड़ी हुई हैं।

इस तरहए इन दोनों के नाम अब ऐसे लोगों की लंबी सूची में जुड़ गए हैंए जो पहले भाजपा और मोदी राज के विरोधी रहे थे और तब वर्तमान

इंदिरा जैसी हिम्मत नहीं दिखा पाए मोदी

में बाबा भारती कहते हैं कि अगर इस तरह धोखे हुए तो फिर कौन बात का यकीन करेगा॥

हालांकि अपने पूर्ववर्तियों को कुछ नहीं बताने का सिलसिला हमारे वाले पहले ही शुरू कर चुके हैं। ट्रंप ने तो अपने पूर्ववर्ती के लिए जो कुछ कहा अपने देश में ही कहा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इससे बहुत बड़ी बात विदेश में कह आए थे कि 2014 से पहले भारत में पैदा होना शर्म की बात थी।

प्रधानमंत्री बनते ही 2015 में दक्षिण कोरिया में मोदी जी ने यह कहा था। और उसके बाद तो उनके भक्तों ने यह बताना शुरू कर दिया था कि भारत आजाद ही 2014 में हुआ। यह कहने वाली फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को फिर ईनाम के तौर बीजेपी का लोकसभा टिकट दे दिया गया। और वे सांसद बन गईं। प्रसंग आया है तो यह और बता दें कि सांसद बनने के बाद अभी उन्हें कोर्ट में प्रसिद्ध लेखक जावेद अ तर से माफ़ी मांगनी पड़ी।

हालांकि यह शीर्षक किसी अख़बार या टीवी चैनल में नहीं दिखा कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने माफ़ी मांगी! खबर को दबा कर दिया गया कि मामला निपटा। और अगर किसी कांग्रेस के या विपक्ष के किसी सांसद ने माफ़ी मांगी होती तो

शासन की विभिन्न एजेंसियां उनके पीछे लगा दी गयी थीं। लेकिनए बाद में जब उन्होंने अपने राजनीतिक विचार बदलकर भाजपा तथा मोदी राज का समर्थन करना शुरू कर दियाए इनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भी बंद कर दी गयी।

प्रसंगवश याद दिला दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक चर्चित खोजी रिपोर्ट में ऐसे पूरे 25 पूर्व.विपक्षी नेताओं के मामलों की जांच.पड़ताल की गयी थीए जिनके खिलाफ 2014 में मोदी निजाम के आने के बाद से भ्रष्टााचार के गंभीर आरोप लगाकर सीबीआईए ईडी तथा आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच शुरू करायी गयी थीए बहुप्रचारित पूछताछ से लेकर कुछ मामले में गिर तारी तक की कार्रवाइयां भी की गयी थीं।

लेकिन बाद में इन नेताओं के राजनीतिक रूप से पल्टी मारकर सत्तापक्ष के साथ जा मिलने के बादए कम से कम 23 मामलों में उन्हें केंद्रीय एजेड्क्षसयों के शिकंजे से राहत मिल गयी। इस सूची में 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा मिलेए असम के हिांता बिस्वशर्माय 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए बंगाल के सुबेंद्र अधिकारीय 2019 में तेलुगू देश डू पार्टी छोड़कर आंध्र प्रदेश में भाजपा में शामिल हुए सीएम रमेश 2019 में ही सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संजय सेठ से लेकरए 2023 में एनसीपी में विभाजन करए भाजपा के साथ गठजोड़ में जा बैठे अजित पवार और 2024 में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा मिलेए नवीन इक्षजदल तक के नाम शामिल हैं।

याद रहे कि यह सूची राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की ही है। राज्य स्तर पर तथा उससे भी नीचेए केंद्रीय एजेसियों के

सत्तापक्ष समर्थक आरोपियों के मामलों का वापस लिया जाना है। भाजपायी राज्य सरकारें नियमित रूप से ऐसा करती आयी हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि यह मौजूदा शासन के समर्थकों और कृपापात्रों के कानून के शिकंजे से सुरक्षित ही बनाए रखे जाने के ऊपर से है। उस सिलसिले में एक आंखें खोलने वाला मामला यति नरसि हानंद का हैए जिसके मुस्लिमविरोधी बोलों के खिलाफ तो भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं कीए लेकिन इन मुस्लिमविरोधी बोलों को बेनकाब करने के लिएए जाने.माने फैक्टचेकरए जुबैर के खिलाफ नरसि हानंद की मानहानि करने के केस मेंए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पिछले करीब साल भर से सुनवाई चल ही रही है। फिर भी हार्दिकए शहला प्रकरण वर्तमान शासन की इस गिरावट के और नयी नीचाइयां नापने को ही दिखाता है।

लेकिन दुर्भाग्य से मौजूदा राज में कानून व व्यवस्था के तंत्र की इस खतरनाक गिरावट की चुनौती को स्वीकार करने के लिए विपक्षए तैयार नजर नहीं आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा तथा उसके गठजोड़ को लगे तगड़े धक्के के बाद सेए संघ.भाजपा ने कम से कम मनोवैज्ञानिक स्तर परए अपनी खोयी जमीन का काफ़ी हिस्सा दोबारा हासिल कर लिया है। बेशकए पहले हरियाणाए फिर महाराष्ट्र तथा अब दिल्ली के विधानसभाई चुनाव में भाजपा की जीत ने उसके हौसले बुलंद किए हैं। लेकिनए इससे ज्यादा उसके हौसले बुलंद किए हैंए लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तरीतर गिरते गए विपक्षी एकता के ग्राफ ने। अगर हरियाणा के चुनाव में आम आदमी के सभी सीटों पर अपने

आए तो उस समय इन्दिरा गांधी की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में दृढ़ता और भारतीय हित सर्वोपरि रखने का बात साउथ ब्लाक ; विदेश मंत्रालयद्ध में सब जगह एक गर्व के साथ कही जाती थी।

प्रसिद्ध लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने लिखा है कि भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने इस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से बात की थी जैसे एक प्रोफेसर अपने किसी पढ़ाई में दिल नहीं लगाने वाले स्टूडेंट से करता है।

इन्दिरा गांधी की दृढ़ता ने तो अमेरिका के सातवें बड़े को वापस लौटा दिया था। जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए आ रहा था। और यहां मोदी के जाने के बाद दो और अमेरिकी सेना के जहाजों में भारतीयों को हथकड़ी.बेड़ियों के साथ लाया गया। उनके जाने से पहले एक जहाज आ चुका था। हथकड़ी.बेड़ियों से बंधे भारतीयों को लेकर। लेकिन मोदी के अमेरिका जाने से लगा कि वे इस बारे में ट्रंप से विरोध करेंगे। जैसा कि संसद में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था। मगर उनके जाने के बाद अमेरिका ने दो जहाजों में और ऐसे ही बांधकर भारतीयों को भेजा। ट्रंप से नहीं कह पाए। इसीलिए लोग इन्दिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि अगर वे होतीं तो जैसा निक्सन का हाल किया था वैसा ट्रंप का कर देतीं। इन्हीं की पार्टी के वाजपेयीजी ने ही तो कहा था वे दुर्गा थीं।

पृष्ठ-4

दबाव के जरिएए इस तरह दल.बदलकर भाजपा और मोदी राज के पाले में जाने के लिए मजबूर किए गए राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सं या और कई गुना बड़ी होगी। इनमें 2015 से लेकर हाल में 2024 तक के मामलों का शामिल होना इसे रेखांकित करता है कि यह एक लगातार जारी प्रक्रिया का या कहना चाहिए कि स्थायी व्यवस्था का मामला हैए जिसमें केंद्रीय एजेंसियों की जांच और उनके आरोपों के डंडे से हांककरए विरोधियों को सत्ता के पाले में धकेला जा रहा है।

फिर भीए राजद्रोह या यूएपीए जैसी धाराओं के आरोपियों का भी इस सूची में शामिल हो जानाए इस भयावह परिदृश्य को और भी भयानक बना देता है। कहने की जरूरत नहीं है कि ये अति.दमनकारी धाराएंए दुर्लभतम मामलों में और बिल्कुल अकाद्य मामलों में ही उपयोग किए जाने का तकाजा करती हैं। वास्तव में राजद्रोह की धारा को तो औपनिवेशिक दौर का अवशेष मानते हुएए सुप्रीम कोर्ट ने उसके उपयोग पर रोक की लगा दी थी।

लेकिनए इस अति.दमनकारी व्यवस्था के अपने अतिरिक्त प्रेम के चलतेए मोदी सरकार ने अपने नये फ़ैजदारी कानूनों में नये नाम से इस धारा को न सिर्फ़ पुनर्जीवित कर दिया है बल्कि उसका दायरा फैलाकरए उसे और घातक भी बना दिया है। हार्दिक पटेल और शहला राशिद का प्रकरण यह दिखाता है कि मोदी राज में ऐसे कानूनों की भी शक्तियों का किस तरह अंधाधुंध और सत्ताधारियों के शुद्र तथा हल्के स्वार्थों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल की ऐसी ही मनमानी का एक और रूपए दंगों समेत विभिन्न अपराधों के

डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा मैसेज। कि यहां कोई किसी पर विश्वास नहीं करे।

अपने स्वार्थ, नए बन रहे संबंधए दूसरे की कम हो रही उपयोगिता इन सब आधारों पर कोई भी किसी को छोड़ सकता है। और एकदम मंझधार में! जैसा यूक्रेन को छोड़ा। कहीं का नहीं रहा वह। रूस अब अपनी शर्तों पर समझौता करेगा। सबसे ज्यादा झंड़ा उसी का बुलंद रहा। अमेरिका ने माना कि तुम दोह से नहीं लड़ सकते थे उससे। जिस अमेरिका की दम पर वह रूस को सबक सिखाने की बात कर रहा था उसी अमेरिका ने अब उसे सबक सिखा दिया कि कोई किसी का नहीं होता।

हम यह बात पहले से जानते थे। नेहरू का नान अलायंस मूवमेंट ,गुट निरपेक्ष आंदोलनद्ध आज सबको याद आ रहा होगा। नेहरू न रूस के साथ न अमेरिका के। मगर उनके साथ दुनिया के 120 देश। ट्रंप इसी बातचीत में जेलेंस्की से कह रहे हैं कि तुम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलना चाहते हो। उस समय जब अमेरिका और रूस में भयानक शीत युद्ध चल रहा था तो यह 120 गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन ही था जिसने दोनों महाशक्तियों को रोक कर रखा था। आज हम खुद ही खुद को विश्व गुरु कहने लगे। और हमारे

पता नहीं उन्हें कोई बताने वाला है या नहीं। हमारी विदेश सेवा में तो एक से एक काबिल अफसर हैंए खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे हैं आईएफ़एस। विदेश सेवा में सबसे उच्च पद विदेश सचिव तक रहे। उन्हें तो मालूम होगा कि 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से इसी व्हाइट हाउस में इन्दिरा गांधी ने कितने तीखे अंदाज में बात की थी। अमेरिका की विदेश नीति के बारे में सवाल पूछे थे। वे इसके कुछ साल बाद ही जब विदेश सेवा में



विविध समाचार



हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच उच्च स्तरीय बैठक, कई जिलों में धारा 163 लागू

चंडीगढ़ १६/१२ (संवाददाता): हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की दो दिवसीय हड़ताल के कारण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित होने के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल ने स्थिति का जायजा लिया और हर जिले से हड़ताल के प्रभाव की रिपोर्ट मांगी। मंत्री राव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से चलती



रहें और मरीजों को कोई असुविधा न हो। विभाग ने बताया कि तत्काल प्रभाव कम करने के लिए 11 जिलों में अन्य क्षेत्रों के डॉक्टरों को अस्थायी रूप से तैनात किया गया है, फिर भी कई सरकारी

मरीजों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी। हिसार में सड़क दुर्घटना का शिकार एक युवक को भी डॉक्टर की अनुपस्थिति में कठे हुए पैर का इलाज नहीं मिल पाया। कैथल में पित्त की पथरी के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने आई महिला को भी स्टाफ की कमी के कारण लौटना पड़ा। अस्पताल स्टाफ ने कहा कि डॉक्टर कब उपलब्ध होंगे, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अव्यवस्था और जनता की असुविधा को देखते हुए प्रशासन ने भिवानी, करनाल, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद और गुरग्राम में

हड़ताल से संबंधित किसी भी विरोध या सभा पर रोक लगाते हुए धारा 163 लागू कर दी है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने दोहराया कि यदि उनके लंबित मांगों जिनमें अशोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन शामिल है को पूरा नहीं किया गया तो वे 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर देंगे। कई जिलों के अस्पतालों में बुनियादी मामलों को भी अन्य अस्पतालों में भेजा जा रहा है, जिससे राज्य प्रशासन आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है, जबकि डॉक्टरों के साथ वार्ता जारी है।

पैरों से थार चलाते युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने काटा भारी भरकम चालान, जान जोखिम में डालकर कर रहे थे रील बाजी

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में रील बनाने और टशन दिखाने के चक्कर में जान जोखिम में डालने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सेक्टर-65 इलाके में तीन युवकों द्वारा ओपन थार जीप में बेहद खतरनाक तरीके से स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की और गाड़ी का चालान काट दिया। वायरल हो रहे 42 सेकेंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुराने मॉडल की एक ओपन थार में सवार युवक सड़क पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक स्टयरिंग को हाथों की जगह अपने पैरों से कंट्रोल करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान उसका एक साथी गाड़ी के पीछे खड़ा था, जबकि दूसरा युवक मोबाइल से इस जानलेवा स्टंट को रिकॉर्ड कर रहा था। यह घटना 5 दिसंबर, शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने जब इन युवकों (जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है) को सड़क पर यह खतरनाक हरकत करते देखा, तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो के पुलिस तक पहुंचते ही प्रशासन हरकत में आ गया। फरीदाबाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर गाड़ी की पहचान की और अगले ही दिन यानी 6 दिसंबर को मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए थार ड्राइवर का 7000 रुपये का पोस्ट चालान काट दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के स्टंट न केवल करने वालों की जान खतरे में डालते हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य निर्दोष लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। पुलिस ने युवाओं को ऐसी हरकतों से बाज आने की सख्त हिदायत दी है।

मान सरकार का रोशन पंजाब अभियान : लोगों को बिजली कटों से मुक्ति

चंडीगढ़ १६/१२ (संवाददाता): अब पंजाब में न कोई फौवट्टी बिजली के इंतजार में रुकेगी, न कोई किसान अंधेरे में रहेगा। हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी और वह भी सस्ती दरों पर। जी हां, मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने अपने वादे को पूरा करते हुए पंजाब में बिजली कटने का झंझट खत्म करते हुए रोशन पंजाब योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में 24 घंटे लगातार और सस्ती बिजली प्रदान करना है। सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो बिजली प्रणाली को मजबूत बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। पंजाब के इतिहास में बिजली के क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा खर्च है। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि पंजाब के हर घर, हर खेत और हर उद्योग को रोशन करने का मिशन है। इसका मकसद, पूरे बिजली सिस्टम को नई ताकत देना, ताकि हर गांव और हर शहर तक बिना रुकावट बिजली मिल सके। पूरे पंजाब में बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं, पुरानों की मरम्मत हो रही है और नई तारें

बिछाई जा रही हैं। इन सुधारों से लोगों को वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी, बिजली कट कम होंगे और खराबी आने पर बिजली जल्दी बहाल होगी। शहरी इलाकों में सुरक्षा और सफाई को ध्यान में रखते हुए 13 नगर निगमों में एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत पीएसपीसीएल के खम्भों से गैर-बिजली के तार हटाए जा रहे हैं, नीचे लटकी हुई लाइनें ठीक की जा रही हैं और खुले मीटर बॉक्स को बंद किया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित और साफ-सुथरा माहौल मिल सके। पूरे पंजाब में बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं, पुरानों की मरम्मत हो रही है और नई तारें बिछाई जा रही हैं। इन सुधारों से लोगों को वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी, बिजली कट कम होंगे और खराबी आने पर बिजली जल्दी बहाल होगी। 'रोशन पंजाब' योजना का असली मकसद है जनता को भरोसेमंद, सस्ती और लगातार बिजली देना। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह केवल बिजली की बात नहीं, बल्कि पंजाब के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।

हरियाणा के युवाओं-बेरोजगारों से भाजपा सरकार कर रही धोखाधड़ी : अनुराग ढांडा

चंडीगढ़ १६/१२ (संवाददाता): आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया ईंचार्ज अनुराग ढांडा ने मंगलवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने राज्य की नौकरियों की व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया है। जहां पंजाब सरकार 2022 से अब तक 60 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है और एक भी भर्ती न तो कोर्ट में अटकी, न ही पेपर लीक हुआ, वहीं हरियाणा में युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार करीब 2 लाख नौकरियों देने

का दावा करती है, लेकिन हकीकत में केवल 1 लाख 20 हजार पदों की भर्ती पूरी हुई। इनमें से लगभग 25 हजार उम्मीदवार ग्रुप डी से ग्रुप सी में चले गए, जिसके कारण ये पद फिर से खाली हो गए। इससे साबित होता है कि सरकार सिर्फ दिखावटी आंकड़े पेश कर रही है, असल में युवाओं को रोजगार देने का इरादा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा करीब 20 से 25 हजार विभिन्न विभागों के पद आज भी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। इन ग्यारह सालों में करीब 50 हजार कर्मचारी रिटायर हुए, लेकिन नई नौकरियों का ग्राफ लगातार गिरता गया और वास्तविक रूप से केवल 20 से 25 हजार

युवाओं को ही नौकरी मिल पाई। अनुराग ढांडा ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की हाल की भर्ती प्रक्रिया को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया कि 613 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन लिखित परीक्षा में केवल 151 युवा ही पास किए, हरियाणा के वही युवा जो देश भर में छम्पूदृश्रत्थ टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट और प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं, उन्हें एचपीएससी जैसी संस्था ने राज्य की परीक्षा में 35: तक अंक नहीं दिए। यह सरकार की परीक्षा प्रणाली और नीयत दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तीन हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं,

लेकिन सरकार काफी समय है और हरियाणा GK को बाद भर्ती जारी करती है और परीक्षाओं से हटा रही है, फिर उनमें भी आधे से ज्यादा पद खाली छोड़ देती है। हरियाणा के युवाओं को पीछे धकेलकर बाहरी उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में सरकार ने भर्तियों की ऐसी भूलभुलैया बनाई है कि योग्य युवा यह भी नहीं समझ पाते कि वे परीक्षा पास करके भी नौकरी पाएंगे या नहीं। कई महत्वपूर्ण भर्तियों में सरकार जानबूझकर खामियाँ छोड़ती है ताकि वे कोर्ट में फंस जाएँ और महीनों-दूसरालों तक नियुक्तियों न हो पाएँ। यह पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। चिंताजनक बात यह है कि सरकार अब बाहरी राज्यों के लोगों को बिना डोमिसाइल आवेदन की अनुमति दे रही

नारी शक्ति से विकास: महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रगति पर फोकस करने की ज़रूरत

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हमारे उज्ज्वल आज और बदलते कल के लिए बेहद ज़रूरी आधार है। तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ते इस वक्त में हम लैंगिक समानता हासिल करने के लिए एक और शताब्दी तक इंतज़ार नहीं कर सकते। नारी शक्ति और भारत की विश्व को सच्चातागत देन, महिलाओं को देवी के रूप में देखने की मूल अवधारणा को अब महज एक प्रतीक से आगे ले जाकर व्यावहारिक जीवन में लाना होगा और महिलाओं के प्रति सज़्मान की हमारी विरासत को महिलाओं के नेतृत्व वाले सतत् विकास के मार्ग पर ले जाना होगा। जब आधी मानवता की स्वतंत्रता और जीवन जीने के अवसर बढ़ते हैं, तो नए समाज में फिर से एक नई आदर्श विचार होता है। लैंगिक समानता अपने आप में एक आदर्श विचार है, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और पर्यावरणीय प्रगति का एक शक्तिशाली कारक भी है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2015 की रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2024 का विश्लेषण और ईवाय का इंडियास्त्र100 कार्य, मिलकर एक ठोस आर्थिक तर्क पेश करते हैं: लैंगिक अंतर को कम करने से सकल घरेलू उत्पाद में 20 से 30ब की वृद्धि हो सकती है और यह भारत के लिए 2047 तक 28 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बेहद ज़रूरी है। भारत एक जनसांख्यिकीय दौर से गुज़र रहा है। हमारी युवा आबादी का तभी लाभ उठाया जा सकता है, जब वह महिलाओं के लिए फायदेमंद हो। प्रजनन क्षमता घट रही है और लड़कियों तथा युवतियों की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ रही हैं,

भारत अब उच्च शिक्षा में लगभग बराबरी पर है और करीब 43ब स्टेम छात्राएँ हैं। कई सालों तक महिलाओं के काम को अनौपचारिक और अदृश्य बनाए रखने के बाद, आखिरकार महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी फिर से बढ़ने लगी है और अब इसे बेहतर गुणवत्ता, औपचारिक और भविष्य के लिए तैयार नौकरियों में तब्दील होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक खास विशेषता ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों को लक्षित करना है, जिनमें महिलाएँ प्रमुख लाभार्थी हैं। इसके अलावा बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ऐसे कार्यक्रम भी सरकार के फोकस में हैं, जो लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील हैं। छात्रवृत्ति, छात्रावास और आरक्षित सीटों ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाया है और ज्ञान, स्वास्थ्य, हरित और देखभाल अर्थव्यवस्थाओं में उनके लिए नए रास्ते खोले हैं। डिजिटल मिशन और ग्रामीण कार्यक्रमों ने करोड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और उनके हाथों में किफायती डेटा वाले स्मार्टफोन और जन धन खाते दिए हैं, जिससे उन्हें सूचना, बाज़ार और सेवाओं तक सीधी पहुँच मिली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा, स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास जैसी प्रमुख योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा, ऋण तक पहुँच, स्वच्छता और सुरक्षित आवास जैसी सुविधाएं दी हैं, जबकि सुकन्या समृद्धि और लखपति दीदी जैसी योजनाओं ने उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और उनकी आय में बढ़ोतरी को सुनिश्चित बनाया है। अब अगले स्तर पर उन्हें निर्णायक रूप से लाभार्थी से अधिकार पति, यानी अधिकारों

के प्राप्तकर्ता से पूर्ण अधिकार धारक और अर्थव्यवस्था तथा समाज में फैसला लेने वाली महिला के रूप में स्थापित करना होगा। 2030 तक लैंगिक समानता पर सतत् विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त करने का यही असल सार है। भारत में अंतर्संबंध का अर्थ है, कि कई महिलाओं को गरीबी, जाति, जनजाति, धर्म, दिव्यांगता या स्थान के कारण कई स्तरों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तीन तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं के विवाह अधिकारों को मजबूत किया है। जनजातीय पृष्ठभूमि की महिला, द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव इस बात का प्रतीक है कि हाशिए पर रहने वाले समाज की महिला एक गणतंत्र में किस ऊँचाई तक पहुँच सकती है और लैंगिक और सामाजिक न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और गहरा कर सकती है। मौजूदा वक्त में हमें जिस कल का निर्माण करना है, वह ऐसा होना चाहिए, जिसमें विकास के ऐसे उदाहरण, असाधारण न होकर, व्यवस्था का हिस्सा हों और व्यापक रूप से दिखाई दें। हिंसा से मुक्ति, एक लैंगिक समानता वाले समाज का अनिवार्य आधार बनी हुई है। घरेलू दुर्व्यवहार और मानव तस्करी से लेकर कार्यस्थल पर उत्पीड़न और ऑनलाइन घृणा तक, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा को खत्म करना, हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए, साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य और यौन तथा प्रजनन अधिकारों पर निरंतर काम करना चाहिए, जो स्वायत्तता और सज़्मान की गारंटी देते हैं। राजनीतिक आवाज़ और नेतृत्व हर दूसरे हस्तक्षेप के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं और महिलाओं को भविष्य के नियमों को आकार देने की ताकत देते हैं। जमीनी स्तर पर, पंचायतों और शहरी स्थानीय

निकायों में 33ब से 50ब आरक्षण ने 15 लाख महिला नेताओं को जन्म दिया है। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कानून निर्माण और शासन में वास्तविक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जैसा कि हाल ही में बिहार में देखा गया, महिलाएँ चुनावी नतीजों को भी नया रूप दे रही हैं, जहाँ जागरूक मतदाता सुरक्षा, गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाली सरकारों को चुन रहे हैं। संस्कृति एक बुनियादी ढाँचा है, जिसके ज़रिए कोई भी समाज खुद को समझता है और अपने भविष्य की कल्पना करता है। सदियों से, इसका निर्माण पितृसत्ता के पुरुषवादी दृष्टिकोण से हुआ है, यहाँ तक कि उन सच्चाताओं में भी जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती थी। आज, मीडिया और साहित्य से लेकर सिनेमा, संगीत, खेल और डिजिटल सामग्री तक, रचनात्मक उद्योगों में महिलाएँ उस पटकथा को नए सिरे से लिख रही हैं और देवी के विचार को दोबारा एक नई परिभाषा दे रही हैं, ताकि उनके प्रति श्रद्धा को घर, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र में समान अधिकार, समान सज़्मान और साझा जिम्मेदारी के रूप में दर्शाया जा सके। परिवर्तन के अगले स्तर का नेतृत्व अब संसदों के साथ-साथ कार्यालयों, बोर्ड रूम, प्रयोगशालाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होना चाहिए। सरकारी विभागों और राजनीतिक दलों से लेकर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान परिषदों, स्टार्टअप्स और बड़े निगमों तक, हर संस्थान को लैंगिक समानता को अपने डीएनए में शामिल करना होगा।



एमसीएल प्रीमियर लीग 2025 का सफल समापन



संबलपुर १६/१२ (संवाददाता): महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा कर्मचारियों के बीच आपसी संवाद, सहयोग और सामंजस्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एमसीएल प्रीमियर लीग (एमपीएल) 2025 का सफल आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में सभी टीमों द्वारा उत्साहपूर्ण प्रदर्शन, अनुशासित खेल भावना और सामूहिक प्रयास देखने को मिला, जो

कर्मचारियों के बीच समन्वय और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के मूल्यों को दर्शाता है। एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री उदय ए. काओले सहित निदेशक (मानव संसाधन) श्री केशव राव, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री पी. के. पटेल, निदेशक (विज्ञ) श्री ए. के. बेहुरा तथा निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री एस. के. झा के साथ सभी टीम सदस्यों को उनके उत्कृष्ट खेल भावना के



प्रदर्शन के लिए बधाई दी तथा कर्मचारियों के बीच सकारात्मक

सहभागिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की। फाइनल रोमांचक मुकाबले में सीएमडीजू किंग्समेन ने अंतिम ओवर तक चले संघर्षपूर्ण मैच में सीवीओजू विजिलेंट रॉयल्स को पराजित कर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया। किंग्समेन टीम के श्री अनिल राय को प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि विजिलेंट रॉयल्स के श्री शिव शंकर जेना को

सप्ताह भर चले इस अंतर-निदेशालय क्रिकेट टूर्नामेंट ने कर्मचारियों को उनके नियमित कार्य परिवेश से इतर एक साझा मंच प्रदान किया, जहाँ उन्होंने आपसी संवाद, सहभागिता और आपसी समझ को मजबूत किया। विभिन्न कार्यात्मक पृष्ठभूमियों के प्रतिभागियों को एक साथ लाकर इस प्रतिस्पर्धा ने आपसी टीमवर्क, पारस्परिक विश्वास और अपनत्व की भावना को

एमसीएल के सीएमडी स्वयंसिद्धा का शुभारंभ किया



संबलपुर १६/१२ (संवाददाता): महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करते हुए, स्वयंसिद्धा, पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य महिला कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करना, व्यावसायिक दक्षताओं को सुदृढ़ करना तथा आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। वीमेन इन पब्लिक सेक्टर एमसीएल द्वारा परिकल्पित यह पहल कौशल विकास, नेतृत्व अभिमुखीकरण, डिजिटल साक्षरता और उद्यमशील सोच

पर केंद्रित है, जिससे महिलाएं व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। श्री उदय अनंत काओले, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल ने कंपनी मुख्यालय में इस पहल का औपचारिक शुभारंभ किया तथा समावेशी विकास के प्रति एमसीएल की प्रतिबद्धता और संगठनात्मक उत्कृष्टता एवं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस अवसर पर नेजसस पावर की सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुश्री निशिता बलियारसिंह तथा सह-संस्थापक एवं मुख्य सूचना

अधिकारी (सीआईओ) सुश्री निकिता बलियारसिंह द्वारा मुख्य व्याख्यान सत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने नेतृत्व, नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर निदेशक (मानव संसाधन) श्री केशव राव, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री प्रणब कुमार पटेल, निदेशक (विज्ञ) श्री अजित कुमार बेहुरा तथा निदेशक (तकनीकी-संचालन/पीएंडपी) श्री संजय कुमार झा सहित जागृति महिला मंडल की उपाध्यक्षाएं श्रीमती रश्मि बेहुरा एवं श्रीमती शशिकला झा भी उपस्थित रहीं।

155 बार पब पर छापा, दो लोग हिरासत में

भुवनेश्वर १६/१२ (संवाददाता): एजसाइज डिपार्टमेंट द्वारा देर रात चलाए गए एक एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान भुवनेश्वर में 155 बार, पब, क्लब और बीयर पार्लरों पर छापा मारा गया, इस दौरान चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशन इलाके के एक बार में कथित तौर पर एक एजसाइज अधिकारी पर हमला किया गया। इस घटना के बाद, पुलिस ने हमले के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार रात को यह छापे इस इनपुट के बाद मारे गए कि कई प्रतिष्ठान तय समय से ज्यादा देर तक चल रहे थे और लाइसेंसिंग और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। चंद्रशेखरपुर इलाके के एक बार में इंस्पेक्शन के दौरान, लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर छापे का विरोध किया और अधिकारी के यूनिफॉर्म में होने के बावजूद एजसाइज कर्मियों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि स्थिति बिगड़ने और



मारपीट में बदलने से पहले इंस्पेक्शन में बाधा डाली गई। इसके बाद चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पुष्टि की है कि घटना के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर चेकिंग रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोऑर्डिनेटेड टीमों ने भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर चेकिंग की, जिसमें कुल 155 प्रतिष्ठानों को कवर किया गया। इंस्पेक्शन में ऑपरेटिंग घंटों, लाइसेंस की शर्तों और एजसाइज नियमों के तहत अन्य अनिवार्य प्रावधानों

के पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। कई आउटलेट देर रात तक चलते पाए गए और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। हाल की आग की घटना के बाद चेकिंग में तेजी सुबह भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके के एक बार में आग लगने की बड़ी घटना के बाद हाल की सुरक्षा चिंताओं के बाद चेकिंग में तेजी लाई गई है। चीफ फायर ऑफिसर रमेश माझी के अनुसार, फायर सर्विसेज कंट्रोल रूम को सुबह 8:50 बजे अलर्ट मिला, जिसके बाद दो फायर टैंकर भेजे गए। दमकलकर्मी सुबह 9:15 बजे मौके पर पहुंचे और लगभग एक घंटे बाद आग पर काबू पाया।

शादी के छह महीने बाद महिला ने पति का गला घोटकर हत्या कर दी

नयागढ़ १६/१२ (संवाददाता): नयागढ़ ज़िले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ खंडापाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत खलिसाही पंचायत के पुणिया गाँव में एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति का गला घोटकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या तब की जब वह सो रहा था। मृतक की पहचान पुणिया गाँव के रहने वाले आलोक महापात्रा के रूप में हुई है। सूत्रों ने बताया कि दोनों की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी और उनकी शादी जटनी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई थी। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पति-पत्नी के बीच घरेलू मुद्दों को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ रहा था, जिससे

घर में कलह का माहौल बन गया था। बार-बार होने वाले झगड़ों के कारण, महिला ने कथित तौर पर शनिवार देर रात अपने पति का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह मामला तब सामने आया जब परिवार वालों और पड़ोसियों ने आदमी को बेसुध पड़ा देखा। सूचना मिलने पर खंडापाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को हिरासत में लिया और घटना के संबंध में उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौत के सही कारणों और मकसद का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

कटक में शादी के जुलूस के लिए पुलिस की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य

कटक १६/१२ (संवाददाता): कटक पुलिस ने शादी के जुलूस, खासकर बैंड या लाउडस्पीकर वाले जुलूस निकालने के लिए पहले से इजाजत लेना ज़रूरी कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब कई शादी के जुलूस बिना पुलिस की इजाजत के, नियमों का उल्लंघन करते हुए और लोगों को गंभीर परेशानी पैदा करते हुए देखे गए। DCP खिलारी त्र्यंकेश ज्ञानदेव ने कहा कि शादी का जुलूस निकालने की योजना बना रहे लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। आवेदकों को www.cpbbsr.ctc.odisha.gov.in पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और ओडिशा शहरी पुलिस अधिनियम के तहत

एक तय ऑनलाइन अफ़्फ़ावत प्रोसेस को फॉलो करना होगा। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आवेदकों को रजिस्टर्ड बैंड या साउंड सिस्टम की ओरिजिनल बुकिंग कॉपी, वेन्यू, मंडप/होटल की बुकिंग कॉपी, जुलूस के दौरान दो प्राइवेट सिज्योरिटी गार्ड की बुकिंग रसीद, अगर वेन्यू घर में है तो बिजली का बिल, इन्विटेशन कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी और 100 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से बनवाया गया क्षतिपूर्ति बॉन्ड जमा करना होगा। खासकर जब समारोह किसी प्राइवेट घर में हो रहा हो, तो दुल्हन का इन्विटेशन

कार्ड और पहचान पत्र की कॉपी भी जमा करनी होगी। वेन्यू के आधार पर अतिरिक्त ज़लीयरेंस ज़रूरी हैं। अगर सरकारी ज़मीन शामिल है, तो CMC, CDA, R&B विभाग या तहसीलदार जैसे स्थानीय अधिकारियों से ज़मीन का अनापजि प्रमाण पत्र (हह्ट) भी ज़रूरी है। इसके अलावा, बिजली की सुरक्षा के लिए फायर विभाग और ज़क्क़ह्दर से और स्ट्रेज या पंडाल के लिए R&B विभाग से भी हह्ट ज़रूरी है। आवेदकों को एक वैध 10-अंकों के मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्टर करना होगा, जिसके माध्यम से SMS द्वारा अपडेट दिए जाएंगे।

३५ दृष्टिबाधित बच्चों का एक ग्रुप ओडिशा ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के नेतृत्व में १४वीं नेशनल पैरा जूडो चैंपियनशिप २०२५ में हिस्सा लेने राजस्थान रवाना



पारादीप १६/१२ (संवाददाता): इफको के सहयोग से, ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों से 35 दृष्टिबाधित बच्चों का एक ग्रुप ओडिशा ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के नेतृत्व में 14वीं नेशनल पैरा जूडो चैंपियनशिप-2025 में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान जा रहा है, जिसकी हेड सुश्री

लोपामुद्रा पति हैं। इस मौके पर कल, आईएफएफसीओ पारादीप यूनिट के यूनिट हेड, श्री पी. के. महापात्रा और श्री बिजय कुमार परिदा, डीजीएम ने टीम को सम्मानित किया और उनके उत्साह, समर्पण और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने की शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के

दौरान, एक दृष्टिबाधित बच्चे ने भगवद गीता का पहला अध्याय बहुत सुंदर तरीके से सुनाया, जिसकी मौजूद सभी लोगों ने बहुत सराहना की। जूडो एसोसिएशन के सपोर्टिंग स्टाफ ने भी मुश्किल हालात में अपनाई जाने वाली आत्मरक्षा की तकनीकें दिखाई, और रोजमर्रा की जिवंदगी में आत्मविश्वास और

तैयारी के महत्व पर जोर दिया। टीम ने आज बस से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के लिए अपनी यात्रा शुरू की और कल ट्रेन से राजस्थान के लिए रवाना होगी। इस मौके पर, श्री पी. के. महापात्रा, यूनिट हेड, इफको पारादीप यूनिट, और श्री पुष्कर बेहरा, क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड, लोपामुद्रा पति, टीम कोच, श्री प्रसन्ना कुमार बेउरा, जनसंपर्क अधिकारी, आईएफएफसीओ श्री सर्वेश्वर बलियारसिंह (माननीय उद्योग, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि), लोटन दास, टीम कोच और गीतांजलि तराई, हेडमिस्ट्रेस गणपति शिशु विद्या मंदिर, बलिझरा ने टीम को हरी झंडी

दिखाकर चैंपियनशिप में सफलता और और भी कई मेडल जीतने की शुभकामनाएं दीं। सम्मान कार्यक्रम को श्री प्रसन्ना कुमार बेउरा, च्द और श्री जयंत कुमार जेना ने सपोर्ट किया। बिस्वजीत महारी, टीम कोच, प्यारीमोहन भुयान, टीम एस्कॉर्ट, विकास मल्लिक, टीम एस्कॉर्ट, और तपन प्रधान टीम मैनेजर।

AFFIDAVIT

By virtue of an affidavit No. A/05 dtd.16.12.2025 sworn before Executive Magistrate, Rourkela, declare that I, SANKARSAN ADHIKARY, S/o Late Tulasidas Adhikary, formerly called SANKARSHAN ADHIKARI, residing at Plot No. 418/1523, Panposh Basti, Near Pearl Height Apartment, P.O. Rourkela-04, P.S. Raghunath Palli, Dist. - Sundargarh, Odisha, Pin-769004, declare that for and on behalf of myself I wholly renounce, relinquish and abandon the use of my former name of SANKARSHAN ADHIKARI, S/o Late Tulsidas Adhikari, and in place thereof so assume from the date hereof the name of SANKARSAN ADHIKARY, S/o Late Tulsidas Adhikary and as that I may thereafter be called, known and distinguished not by my former name of SANKARSHAN ADHIKAI, S/o Late Tulsidas Adhikari, but by my assumed name of SANKARSAN ADHIKARY, S/o Late Tulsidas Adhikari.

That, for the purpose of evidencing such my determination I hereby declare that I shall at all times hereafter in all records, deeds and writings and in all proceeding, dealing and transaction private as well as public and upon all occasions what so ever use and sign the name of SANKARSAN ADHIKARY, S/o Tulsidas Adhikary as my name in place of and in substitution of my former name of SANKARSHAN ADHIKARI, S/o Late Tulsidas Adhikari.

That, I expressly authorise and request all persons at all times to designate and address me and my husband and children and remoter issue by such assumed name of SANKARSAN ADHIKARY, S/o Late Tulsidas Adhikary accordingly.

That, I am the deponent os this affidavit.

That, the purpose of this changing of my name is my old name has been wrongly printed in Aadhaar Card for purpose of correction in my Aadhar Card.

That, the change of namke request is not for any fraudulent or wrongful purpose, detrimental to the rights or interests of any other person, or prohibited by or violation of any judicial or administrative adjudication.

That, I hereby declare and affirm that the affidavit is signed by me and all its contents are true and correct to the best of my knowledge and belief.

That, I shall be known as new name SANKARSAN ADHIKARY for all future purpose.

SANKARSAN ADHIKARY